



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार

संख्या :- 55/06/सहा0 कुल0/गोपन-1/2023-24

दिनांक : 30 जून, 2023

विज्ञप्ति (मुख्य परीक्षा परिणाम)

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्याधीन विश्वविद्यालयों एवं संस्कृत शिक्षा विभाग में सहायक कुलसचिव के रिक्त पदों पर चयन हेतु **सहायक कुलसचिव परीक्षा-2022** की **मुख्य/लिखित परीक्षा (परम्परागत निबंध शैली)** का आयोजन दिनांक: 07.02.2023 एवं 08.02.2023 को किया गया था। उक्त मुख्य/लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर मा0 आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार परीक्षा हेतु **औपबन्धिक (Provisional)** रूप से सफल घोषित किया गया है—

100013	100033	100041	100043	100067	100080	100093	100105
100107	100133	100140	100149	100154	100155	100170	100174
100186	100190	100196	100204	100257	100263	100293	100296
100311	100360	100366	100368	100405	100428	100443	100446
100464	100468	100470	100483	100497	100500	100507	Total-39

नोट—

1. उक्त परीक्षा परिणाम अभ्यर्थियों द्वारा उनके ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों यथा शैक्षिक अर्हता, स्थायी निवास, लम्बवत्/क्षैतिज आरक्षण आदि के आधार पर घोषित किया जा रहा है। अभ्यर्थियों द्वारा किये गये दावों से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया जाना अवशेष है। सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम पूर्णतः औपबन्धिक (**Provisional**) है। साक्षात्कार के दौरान समस्त दावों एवम् अभिलेखों का विस्तृत परीक्षण किया जायेगा। यदि दावों एवं अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति पायी जाती है अथवा दावे असत्य पाये जाते हैं, तो अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

2. प्रश्नगत पद हेतु मुख्य परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन की तिथि 07 जुलाई, 2023 निर्धारित है तथा साक्षात्कार परीक्षा माह जुलाई, 2023 के अन्तिम सप्ताह में प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाईट में यथासमय पृथक से प्रसारित किया जाएगा।

3. अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं कट ऑफ मार्क्स से सम्बन्धित सूचना साक्षात्कार के उपरान्त अंतिम चयन परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात् आयोग की वेबसाईट www.psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जाएगी। अतः अभ्यर्थी इस संबंध में पृथक से सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत कोई अनुरोध पत्र प्रेषित न करें।

-Sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव